

कायार्लिंग्साबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोती महलः गवालियर
दृष्टिकोण

ब्रमांक/रातायन शाला 15/96/2370 गवालियर, दिनांक 30-8-96
प्रति,

1. समस्त उपायकारी आयुक्ताबकारी
 2. समस्त जिल आबकारी अधिकारी
 3. प्रभारी अधिकारों अधिकारी, बूअरोज
-
-

विषय:- बूअरोज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा रातायनिक परीक्षण।

बूअरोज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका नियमित रूप से रातायनिक परीक्षण कराया जाये, अतः प्रत्येक बूअरोज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि निर्मित बीयर का बोतल भराई के पूर्व बोतल भराई के लिए तैयार तथा बोतलों में भरी जा युक्त बीयर फेरेण्डमतरीके से नमूने लेकर इनका बूअरोज में स्थित रातायनिक प्रयोगशाला से बिन्न मान्यता प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशाला में रातायनिक परीक्षण प्रत्येक तीन माह में लम से कम एक बार कराया जाय। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्थित समस्त बूअरोज में निर्मित बीयर के प्रत्येक बैच के नमूने का सम्बन्धित बूअरोज में स्थापित प्रयोगशाला में रातायनिक परीक्षण कराने अला वाङ्गमयी प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तीन माह में लम से कम एक बार बीयर के रेण्डमतरी के से नमूने लेकर रातायनिक परीक्षण हेतु इस कायर्लिंग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को भेजेंगे।

2- बीयर की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्न निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये:-

६। बोतल भराई के पूर्ण बोतल वा० ई के लिए तैयार बीयर के प्रत्येक बैंग के नमूने का रासायनिक गणीयण अनुबाधितात्री कीमतिजी प्रत्येक बोतल में किया जाये । नमूने को बीयर IS:3865::1993 (Second/ Revision) Specification for Beer के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार छोड़ने पर ही वैयं जारी करने की अनुमति दो जाये । उक्त Specification के अनुसार Ethyl Alcohol की मात्रा के आधार पर बीयर के निम्नानुसार वा० प्रकार निर्धारित किये जाये हैं ।

S.No.	Type of Beer	Ethyl Alcohol Contents at 15°C		Exceeding Percent (v/v)	But not Exceeding	Exceeding Percent (v/v)	But not Exceeding
		Exceeding	But not Exceeding				
1.	Light	0.5 %	4.0 %			(0.87 Proof	7.01 Proof
2.	Standard	4.0 %	5.0 %			(7.01 , ,	8.76 , ,
3.	Extra Strong	5.0 %	6.0 %			(8.76 , ,	10.51 , ,)
4.	Super strong	Above 6.0 Percent	→			Above 10.51 Proof	—

जब नमूने की बीयर भारतीय मानक द्वारा बीयर के लिए उपरोक्त Specification में निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त वाई जाये तभी वैयं जारी करने को अनुमति दी जाये । बीयर के नमूनों का परीक्षण उपरोक्त Specification में द्वाई गई उचित विधि का पालन करते हुये किया जायेगा । इस द्वेष्ट निर्माण के केमिस्ट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को प्रभारी अधिकारों अपने पास तुरंगांकित रूप से रखें । इस प्रमाण पत्र में तेजी का छल्लेयभी केमिस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये । बीयर के प्रकार के अनुसार ही उपरोक्त द्वाई गई तोमाओं में अल्कोहोलिक strength पाई जाने पर इस प्रकारकी लैंबिल के अन्तर्गत बीयर ही भराई की जा सकेगी । पूर्व से अनुमोदित स्वेच्छालितलेवलों में भी भाविष्य में उपरोक्तानुसार बीयर के प्रकार के आधार पर टेलिमैट्रीयि अनुसार बीयर की तेजो निष्ठी जार्येलेवलों पर उक्त विवरण मुद्रित कराना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बीयर निर्माणी इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों का होगा ।

७। बोतल भराई के पूर्व, बोतल भराई के लिए तैयारतथा बोतलों में भरो जायुकी बीयर के नमूने प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बरे रेण्डम तरोंके से लेकर

-3-

इसके बीचर के नमूने भारताधिक अधिकारों द्वारा स्वयं निकाले जाएं।
 दोष के तोन नमूने तील किये जाएं, एक नमूना रासायनिक परोक्षण
 हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को भेजा जाये, दूसरा
 नमूना भारताधिक अधिकारी द्वारा ताले में बंद कर अपने कार्यालय में
 परोक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होते तक सावधानी-पूर्वक रखा जाये तथा तोकरा
 नमूना लायतेंसो को दिया जावे और उसकी प्राप्ति को रक्तीद प्राप्त
 की जाये।

तोन के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक नमूने पर एक लेवल
 चिपकाया जाये, जिस पर निम्न विवरण लिखा जाये:-

- (a) Name & Address of the manufacturer
 - (b) Name of label/type, if any
 - (c) Name & type of material & Alcohol contents-percent(v/v)
 - (d) Batch or code number
 - (e) Net contents in M.L
 - (f) Date of Sampling
- नमूनों को भारताधिक अधिकारों द्वारा सीलबंद किया जायेगा तथा
 नमूनों के लेवल पर हस्ताक्षर किए जाकर तारीख-अंकित की जाएगी।
 उक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कडाई से पालन किया जाये।

//मनीष वास्तव//
 1381996

आबकारी आयुक्त
 मध्यप्रदेश ८९६